

कार्यालय जिला परिषद, हजारीबाग ।

(email-districtboardhazaribag@gmail.com, Phone No. 06546-261407)

—: अति अल्पकालीन निविदा सूचना :-

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन अन्तर्गत हजारीबाग जिला के बरही प्रखण्ड के छः पंचायतों (गौरयाकरमा, केदारुत, करसो, बसरिया, बेन्दगी एवं रसोईयाधमना) में Organic Farming का कार्य किया जाना है, जिसके लिए इच्छुक सरकारी/ गैरसरकारी संस्था (NGO)/ फार्म/ एजेन्सी/ कम्पनी से Organic Farming के कार्य हेतु से सीलबन्द निविदा आमंत्रित की जाती है। नियम एवं शर्तें तथा अन्य जानकारी कार्यालय के सूचना पट्ट अथवा Web Site- www.hazaribag.nic.in पर देखा जा सकता है।

1. निविदा प्राप्त करने की तिथि एवं समय :- दिनांक 09/05/2020 समय 2.00 अपराहन् तक।
2. निविदा जमा करने का स्थान :- जिला परिषद कार्यालय, हजारीबाग।
3. निविदा खोलने की तिथि एवं समय :- दिनांक 09/05/2020 समय 2.30 अपराहन्।
4. निविदा खोलने का स्थान :- उप विकास आयुक्त का कार्यालय, हजारीबाग।

Organic Farming का विवरण निम्नवत है :-

S.No.	Particular	Discription	Remarks
1	Civil Work	Small Pond Size(15*10*10 ft) with plastic ,Generator Room(concrete roof (Size 15*12ft)	
2	Deep Boaring With Fitting	Drilling of 200mm*165 mm*225 mtr deep borowell at all lands of soil rock in rural areas for installation of pump set with hydraulic dth,Supplying and lowering of 200 mm dia ms cutting pipe of well thickness 6 mm as per standard specification.amount including all types of taxes	
3	Drip irrigation for (15 Acre)	Pvc 63mm*4 kg/cm2,pvc 40mm*6kg/cm2,40mm pp ball valve,40mm flush valve,2".25m3/h screen filter,mainford 2*3/4",ventury 3/4",pressure gauge,1" air relase valve,plan laterals 12 mm class-2,emitting pipe 12mm*2lph*40 cms,25m3 hydrocyclone filter,30 ltr fertilizer tank,sand filter 20m3*2"(amount including all taxes)	
4	Drip irrigation installation and transportation	Total of 15 Acres Land	
5	Water Pump	water Pump -2Hp Motar kirlosker, I phase electric agri monobloc pumpset with fitting assesories	
6	Generator	Generator 10 Kv (any Reputed Brand), I phase AC alteration with 14hp canon w/c cylinder S/s diesel engine mounted on 4 wheeled trolley	
7	Water Tank	Tank 1000 Ltr capacity)+ fitting Assesories	
8	Mulching	Silver black Mulching sheet for 15 Acre,with lobour charge and amount including all types of taxes	
9	Polymer Drum	Drum (Drum of 50 Litre Capacity)	
10	Input material	vegetable hybrid Seed(tomato seed,chili seed,caulifloweer,cabbage seed,landy finger seed, papaya hybrid seed, buttle gauard etc Fertiliser (organic fertliser) Bio organic(fertiliser),tonic(bio organic harmons) ,Bio fungiside.	
11	Fencing	fencing coil/acre(piller wire)	
12	Sprayer +Agriculture tools	Battery oprated Sprayer,Gattor Sprayer ,Water Can	
13	On farm training	Training for local Farmers(100 Farmers) 10 days of farmers on organic farming	
14	off farm training	Off farm training for one days (100 farmers)	
15	Organic Land Certification	To be done by Agency/NGO	
16	Electric Connection	To be done by Agency/NGO	

निविदा संबंधित अन्य शर्तें :-

1. सरकारी/गैरसरकारी संस्था (NGO)/फार्म/एजेन्सी/कम्पनी के द्वारा अलग-अलग लिफाफा में Technical Bid एवं Financial Bid समर्पित किया जायेगा, जिसमें सुरक्षित जमा राशि के रूप में 100000.00 (एक लाख) रुपये किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी डिमाण्ड ड्राफ्ट संलग्न करना अनिवार्य होगा, जो जिला अभियंता, जिला परिषद, हजारीबाग के पदनाम से भुगतये होगा। Technical Bid खोलने के उपरान्त सभी कागजात सही पाये जाने की स्थिति में ही संबंधित निविदादाता का Financial Bid खोला जायेगा।
2. सरकारी/गैरसरकारी संस्था (NGO)/फार्म/एजेन्सी/कम्पनी के द्वारा Technical Bid में निम्न कागजातों को संलग्न करना अनिवार्य होगा :-
 - I. संस्था की निबंधन प्रमाण-पत्र की छायाप्रति।
 - II. Organic Farming क्षेत्र में कार्य का न्युन्तम तीन वर्ष का कार्यानुभव प्रमाण-पत्र।
 - III. किसी सरकारी विभाग में Organic Farming के कार्य का अनुभव प्रमाण-पत्र।
 - IV. FPO बनाने हेतु निबंधन की छायाप्रति।
 - V. Organic Farming क्षेत्र में कार्य का प्रोजेक्ट रिपोर्ट।
 - VI. पैन कार्ड की छायाप्रति।
 - VII. आधार कार्ड की छायाप्रति (Head of Organisation)।
 - VIII. अद्यतन गत तीन वर्षों का आयकर प्रमाण पत्र।
 - IX. अद्यतन GST रिटर्न की प्रति।
 - X. गत तीन वर्षों का Audited Balance Sheets
 - XI. सरकारी/गैरसरकारी संस्था (NGO)/फार्म/एजेन्सी/कम्पनी का काली सूची में दर्ज नहीं होने संबंधी शपथ पत्र।
 - XII. उपरोक्त सुरक्षित जमा राशि 100000/-रुपये का बैंक ड्राफ्ट।
3. सरकारी/गैरसरकारी संस्था (NGO)/फार्म/एजेन्सी/कम्पनी के द्वारा Financial Bid में उपरंकित आपूर्ति/निर्माण किये की जाने वाली सामग्री/उपकरण एवं Civil Work के दर में सभी प्रकार के कर यथा GST, Income Tax, L.Cess, परिवहन एवं अधिष्ठापन व्यय आदि सम्मिलित कर Organic Farming के कार्य हेतु एक दर अंकित करना होगा। अलग से किसी भी प्रकार का कोई टैक्स इत्यादि का भुगतान नहीं किया जायेगा।
4. सरकारी/गैरसरकारी संस्था (NGO)/फार्म/एजेन्सी/कम्पनी को Organic Farming कार्य करने के लिए किसी भी प्रकार का अग्रिम का भुगतान नहीं किया जायेगा।
5. सरकारी/गैरसरकारी संस्था (NGO)/फार्म/एजेन्सी/कम्पनी के द्वारा समर्पित निविदा के आधार पर उप विकास आयुक्त, हजारीबाग की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय निविदा निष्पादन समिति के द्वारा निविदा का निष्पादन किया जायेगा।
6. Organic Farming का कार्य हजारीबाग जिला के बरही प्रखण्ड में अद्योहस्ताक्षरी के निदेश के आलोक में किया जायेगा, जिसके लिए अलग से कोई परिवहन राशि देय नहीं होगा।
7. Organic Farming का कार्य स्वीकृत DPR के अनुसार तथा अद्योहस्ताक्षरी के निदेश के आलोक में किया जायेगा। विस्तृत जानकारी हेतु कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है।
8. Organic Farming का कार्य स्वीकृत DPR के अनुसार उपकरणों के रख-रखाव एवं संचालन हेतु निःशुल्क प्रशिक्षण देना होगा।
9. Civil कार्य से संबंधित विपत्र का भुगतान झारखण्ड सरकार द्वारा अनुमोदित SOR के दर पर किया जायेगा।
10. अधिकारियों के निरीक्षण के समय निर्देश प्राप्त करने हेतु स्थल आदेश पुस्तिका रखना होगा। साथ ही स्थल पर्यवेक्षण के दौरान कार्य से संबंधित पदाधिकारियों द्वारा स्थल पर दिये आदेश का पालन दृढता पूर्वक करना होगा। जिसके लिये अलग से कोई भुगतान नहीं किया जायेगा।
11. Organic Farming का कार्य में ली जाने वाली सभी सामग्रियों का रख-रखाव सरकारी/गैरसरकारी संस्था (NGO)/फार्म/एजेन्सी/कम्पनी के द्वारा ही की जायेगी।

12. विपत्र से 10 प्रतिशत जमानत के रूप में राशि की कटौती की जायेगी। सुरक्षित जमा राशि एवं जमानत के रूप में काटी गई राशि 3 वर्ष बाद इस आशय पर विमुक्त किया जायेगा कि **Organic Farming** का कार्य आपके द्वारा कराये गये कार्य की गुणवत्ता सही है एवं कनीय अभियंता एवं सहायक अभियंता से सत्यापन होने के पश्चात राशि का भुगतान किया जायेगा।
13. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं किया जायेगा एवं बिना कारण बताये निविदा को रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी अथवा क्रय समिति के पास सुरक्षित रहेगा।
14. निविदा से संबंधित अन्य किसी प्रकार की जानकारी जिला परिषद कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
15. **Organic Farming** का कार्य से संबंधित जानकारी www.hazaribag.nic.in पर देखा जा सकता है।
16. प्राप्त आवंटन के आधार पर संबंधित विपत्र का भुगतान किया जायेगा।

उप विकास आयुक्त-सह-
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
जिला परिषद, हजारीबाग।